873

[2019] 12 एस. सी. आर 873 ए

ए.

आर. श्रीनिवास कुमार बनाम

आर. शमिता

(2013 की सिविल अपील संख्या 4696) अक्टूबर 04,2019

बी.

[संजय किशन कौल और एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.** जे**.]**

हिंदू विवाह अधिनियम, 1955:

एस.13(1) – याचिका-एस में उल्लिखित आधारों पर।13(1)(आई. ए.) और (आई. बी.)-विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक की भी मांग की-अवर न्यायालयों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया-सर्वोच्च न्यायालय में अपील में संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक की मांग की गई-आयोजितः उच्चतम न्यायालय अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर विवाह को भंग कर सकता है, भले ही मामले के तथ्य कानून में ऐसा आधार प्रदान नहीं करते हैं जिस पर तलाक दिया जा सकता है-मामले के तथ्यों में, विवाह को इस शर्त पर विघटित किया जाता है कि पति पत्नी को बीस लाख रुपये की स्थायी गुजारा भत्ता का भुगतान करता है।

सी.

डी.

ई.

अपील को अनुमति देते हुए**,** न्यायालय ने

यह अभिनिर्धारित किया कि **-1.** भारत के संविधान के अनुच्छेद **142** के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए**,** विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर विवाह को भंग किया जा सकता है।यदि विवाह के दोनों पक्ष स्थायी रूप से अलग होने और/या तलाक के लिए सहमति देते हैं**,** तो निश्चित रूप से दोनों पक्ष आपसी सहमति से तलाक की डिक्री के लिए सक्षम न्यायालय का रुख कर सकते हैं।केवल ऐसे मामले में जहां एक पक्ष सहमत नहीं होता है और सहमति नहीं देता है**,** मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए पक्षों के बीच पर्याप्त न्याय करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद **142** के तहत शक्तियों का उपयोग करने की

आवश्यकता है।हालाँकि, साथ ही, पत्नी के हित को भी आर्थिक रूप से संरक्षित करने की आवश्यकता है ताकि उसके पास न हो

एफ.

जी.

एच.

873

874 सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट [2019] 12 एस. सी. आर.

भविष्य में आर्थिक रूप से पीड़ित होने के लिए और उसे दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ सकता है।**[**पैरा **6] [879-**सी**-**एफ**]**

2. उच्चतम न्यायालय ने विवाह को भंग करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद **142** के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया है, जहां न्यायालय यह पाता है कि विवाह पूरी तरह से अव्यवहारिक, भावनात्मक रूप से मृत, बचाव से परे है और अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है, भले ही मामले के तथ्य कानून में ऐसा आधार प्रदान न करें जिस पर तलाक दिया जा सके।वर्तमान मामले में, स्वीकार्य रूप से, अपीलार्थी-पति और प्रतिवादी-पत्नी **22** वर्षों से अधिक समय से अलग रह रहे हैं और पक्षों के लिए एक साथ रहना संभव नहीं होगा।इसलिए, एकमुश्त स्थायी गुजारा भत्ता के माध्यम से क्षतिपूर्ति करने के लिए प्रतिवादी-पत्नी के हित की रक्षा करते हुए, यह भारत के संविधान के अनुच्छेद **142** के तहत शक्तियों का प्रयोग करने और पक्षों के बीच विवाह को भंग करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।**[**पैरा **7] [879-**एफ**-**एच**; 880-**ए**]**

बी.

सी.

डी.

3. विवाह विच्छेद के लिए अपीलार्थी-पति द्वारा दायर तलाक के लिए आवेदन एतद्द्वारा अनुमत है।अपीलार्थी-पति और प्रत्यर्थी-पत्नी के बीच विवाह को भारत के संविधान के अनुच्छेद **142** के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस शर्त पर भंग करने का आदेश दिया जाता है और जैसा कि अपीलार्थी-पति के वकील ने सहमति व्यक्त की है कि अपीलार्थी-पति प्रत्यर्थी-पत्नी को एकमुश्त स्थायी गुजारा भत्ता का भुगतान करेगा, जिसकी मात्रा **<ID1,00,000/- (**बीस लाख रुपये**)** है, जिसे आठ सप्ताह की अवधि के भीतर मांग मसौदे के माध्यम से प्रत्यर्थी-पत्नी को सीधे भुगतान किया जाएगा।जब तक प्रतिवादी-पत्नी को

उपरोक्त स्थायी गुजारा भत्ता का भुगतान नहीं किया जाता है**,** तब तक अपीलार्थी**-**पति उसे दिए जा रहे भरण**-**पोषण का भुगतान करना जारी रखेंगे।**[**पैरा **8] [880-**बी**-**सी**]**

ई.

एफ.

नवीन कोहली बनाम नीलू कोहली **(2006) 4** एससीसी **558:[2006] 3** एससीआर **53;** समर घोष बनाम जया घोष **(2007)**

4 एससीसी 511:[2007] 4 एस. सी. आर. 428; सुखेंदु दास बनाम रीता मुखर्जी (2017) 9 एस. सी. सी. 632-पर भरोसा किया।

जी.

दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी बनाम अरुंधति त्रिपाठी **(2005)**

7 एससीसी 353:[2005] 2 पूरक।एससीआर 833; संघमित्रा

घोष बनाम काजल कुमार घोष **(2007) 2** एससीसी **220:**

[2006] 9 पूरक।एस. सी. आर 156; के. श्रीनिवास राव बनाम डी. ए.

एच.

875

आर. श्रीनिवास कुमार बनाम आर. शमिता ए

ए.

दीपा (2013) 5 एससीसी 226:[2013] 2 एससीआर 126;

चेतना दास बनाम कमला देवी **(2001) 4** एससीसी **250:[2001] 3** एस**.** सी**.** आर**. 20;** विष्णु दत्त शर्मा बनाम मंजू शर्मा

(2009) 6 एससीसी 379:[2009] 3 एससीआर 891; हितेश

भटनागर बनाम दीपा भटनागर **(2011) 5** एससीसी **234:[2001] 6** एस**.** सी**.** आर**. 118;** दर्शन गुप्ता बनाम राधिका गुप्ता

बी.

(2013) 9 एससीसी 1:[2013] 10 एस. सी. आर. 937; मनीष गोयल बनाम रोहिणी गोयल (2010) 4 एस. सी. सी. 393:[2010] 2 एस. सी. आर. 414-संदर्भित।

संदर्भित निर्णय

[2005] 2 पूरक।एस**.** सी**.** आर**. 833** पैरा **3.1 [2006] 3** एस**.** सी**.** आर**. 53** में निर्दिष्ट है।

सी.

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **3.1**

[2006] 9 पूरक।पैरा **3.1 [2007] 4** एस**.** सी**.** आर**. 428** को संदर्भित एस**.** सी**.** आर**. 156**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **3.1**

संदर्भित किया गया है

पैरा **3.1**

[2013] 2 एससीआर **126**

डी.

(2017) 9 एस**.** सी**.** सी**. 632**

पर भरोसा किया गया **|**

पैरा **3.1**

[2001] 3 एससीआर **20**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4.2**

[2009] 3 एससीआर **891**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4.2**

[2001] 6 एससीआर **118**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4.2**

ई.

[2013] 10 एससीआर **937**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4.2**

[2010] 2 एससीआर **414**

संदर्भित किया गया है

पैरा **4.2**

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णय:2013 की सिविल अपील संख्या 4696।

एफ.

उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश 06.02.2012 से।2003 के सी. एम. ए. सं. 4142 में हैदराबाद में आंध्र प्रदेश।गुरु कृष्ण कुमार, वरिष्ठ अधिवक्ता, ए. कार्तिक, सुश्री श्रुति गोपालन, अंकित जगलान, अधिवक्तागण अपीलार्थी के लिए।

जयंत कुमार मेहता, सुश्री अनु श्रीवास्तव, अधिवक्तागण प्रत्यर्थी के लिए।

जी.

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम**.** आर**.** शाह**,** जे**.**

1. 2003 के सी. एम. ए. सं. 4142 में पारित किए गए विवादित निर्णय और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करना।

एच.

हैदराबाद में आंध्र प्रदेश का उच्च न्यायालय, जिसके द्वारा उच्च न्यायालय ने अपीलार्थी-पति द्वारा दायर उक्त अपील को खारिज कर दिया है और प्रतिवादी-पत्नी के खिलाफ तलाक की डिक्री पारित करने से इनकार करने वाले विद्वान परिवार न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश की पुष्टि की है, अपीलार्थी-पति ने वर्तमान अपील को प्राथमिकता दी है।

बी.

2. कि अपीलार्थी और प्रत्यर्थी की शादी 09.05.1993 पर हुई थी।कि उक्त विवाह में से, प्रत्यर्थी ने 29.08.1995 पर एक पुरुष बच्चे को जन्म दिया।ऐसा प्रतीत होता है कि पक्षों के बीच मतभेद थे और अपीलार्थी-पति के अनुसार, उसके साथ क्रूरता की गई थी।1997 तक, कई बार, प्रतिवादी-पत्नी अपने माता-पिता के घर में रहती थी।अपीलार्थी-पति ने वर्ष 1999 में हैदराबाद के परिवार न्यायालय के समक्ष 1999 की ओ. पी. संख्या 157 के रूप में तलाक की याचिका दायर की।कि उक्त याचिका हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 की धारा 13 (1) (आई. ए.) और (आई. बी.) के तहत प्रतिवादी-पत्नी के खिलाफ तलाक की डिक्री के लिए दायर की गई थी।कि विद्वान परिवार न्यायालय ने यह देखते हुए और यह मानते हुए कि अपीलार्थी-पति प्रतिवादी-पत्नी द्वारा क्रूरता को साबित करने में विफल रहा है, उक्त तलाक याचिका को खारिज कर दिया।पारिवारिक न्यायालय ने विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक की डिक्री पारित करने से भी इनकार कर दिया।

सी.

डी.

2.1 हैदराबाद के परिवार न्यायालय द्वारा 1999 के ओ. पी. संख्या 157 में तलाक की याचिका को खारिज करते हुए पारित किए गए फैसले और आदेश से व्यथित और असंतुष्ट महसूस करते हुए, अपीलार्थी-पति ने उच्च न्यायालय के समक्ष अपील की।उच्च न्यायालय के समक्ष भी, अपीलार्थी-पति ने विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक की डिक्री की मांग की।विवादित निर्णय और आदेश द्वारा, उच्च न्यायालय ने उक्त अपील को खारिज कर दिया है।अतः, अपीलार्थी-पति वर्तमान अपील के माध्यम से इस न्यायालय के समक्ष है।3. अपीलार्थी-पति की ओर से पेश हुए विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गुरु कृष्ण कुमार ने क्रूरता पर दोनों अवर न्यायालयों द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्षों को परेशान करने के लिए अथक प्रयास किए हैं।वैकल्पिक रूप से, अपीलकर्ता-पति की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गुरु कृष्ण कुमार द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत विद्वान जाता है कि अपीलकर्ता-पति और प्रतिवादी-पत्नी दोनों पिछले 22 वर्षों से अलग-अलग रह रहे हैं और विवाह को बचाना असंभव है और विवाह के जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है और यह मरम्मत से परे टूट गया है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए चूंकि विवाह का अपरिवर्तनीय टूटना है, इसलिए यह ए के लिए चीजों की योग्यता में है।

ई.

एफ.

जी.

एच.

877

आर. श्रीनिवास कुमार बनाम आर. शमेथा [एम. आर. शाह, जे.] ए.

भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी विवाह को भंग करना और पक्षों के साथ पर्याप्त न्याय करना।3.1 विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर विवाह को भंग करने के लिए अपने वैकल्पिक समर्पण के समर्थन में, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इसके निम्नलिखित निर्णयों पर बहुत अधिक भरोसा विद्वान है।

बी.

कोर्ट, दुर्गा प्रसाद त्रिपाठी न्यायालय अरुंधति त्रिपाठी (2005) 7 एससीसी 353; नवीन कोहली न्यायालय नीलू कोहली (2006) 4 एससीसी 558; संघमित्रा घोष न्यायालय काजल कुमार घोष (2007) 2 एससीसी 220; समर घोष न्यायालय जया घोष (2007) 4 एससीसी 511; के. श्रीनिवास राव न्यायालय डीए। दीपा (2013) 5 एस. सी. सी. 226 और सुखेंदु दास न्यायालय रीता मुखर्जी (2017) 9 एस. सी. सी. 632।

सी.

3.2 अपीलार्थी-पति की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गुरु कृष्ण कुमार ने भी बार में कहा है कि अपीलार्थी-पति अपीलार्थी-पति को विवाह विच्छेद की डिक्री दिए जाने की स्थिति में प्रतिवादी-पत्नी को उचित स्थायी गुजारा भत्ता देने के लिए तैयार है।

डी.

4. प्रतिवादी-पत्नी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री जयंत कुमार मेहता ने वर्तमान अपील का जोरदार विरोध विद्वान है।उन्होंने दृढ़ता से प्रस्तुत किया है कि यह भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर अपीलार्थी और प्रत्यर्थी के बीच विवाह को भंग करने के लिए एक उपयुक्त मामला नहीं है।

ई.

4.1 प्रत्यर्थी-पत्नी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा यह जोरदार रूप से प्रस्तुत विद्वान जाता है कि विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक की डिक्री नहीं दी जा सकती है, यदि दोनों में से कोई भी पक्ष इस तरह के विघटन के लिए इच्छुक नहीं है और सहमति नहीं दी है।यह प्रस्तुत किया जाता है कि केवल उस मामले में जहां विवाह के दोनों पक्ष सहमत होते हैं और/या सहमति देते हैं, विवाह को भंग किया जा सकता है और विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर तलाक की डिक्री पारित की जा सकती है।

एफ.

4.2 उपरोक्त प्रस्तुतियाँ करना और चेतना दास बनाम कमला देवी के मामलों में इस न्यायालय के निम्नलिखित निर्णयों पर भरोसा करना।

जी.

(2001 4 एससीसी 250; विष्णु दत्त शर्मा बनाम मंजू शर्मा (2009) 6 एससीसी 379; हितेश भटनागर बनाम दीपा भटनागर (2011) 5 एससीसी 234; दर्शन गुप्ता बनाम राधिका गुप्ता (2013) 9 एससीसी 1; और मनीष गोयल बनाम रोहिणी गोयल (2010) 4 एससीसी 393 को खारिज करने की प्रार्थना की जाती है।

वर्तमान अपील।

एच.

878

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[2019] 12 एस सी आर।

5. हमने संबंधित पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को विस्तार से सुना है।

5.1 शुरुआत में, यह ध्यान देने की आवश्यकता है और यह विवाद में प्रतीत नहीं होता है कि पिछले 22 वर्षों से अपीलार्थी-पति और प्रतिवादी-पत्नी दोनों अलग-अलग रह रहे हैं।ऐसा भी प्रतीत होता है कि विवाह को जारी रखने के सभी प्रयास विफल हो गए हैं और पक्षों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के कारण फिर से मिलन की कोई संभावना नहीं है।इस प्रकार, ऐसा प्रतीत होता है कि अपीलार्थी-पति और प्रत्यर्थी-पत्नी के बीच विवाह अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है।हितेश भटनागर (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि न्यायालय एक विवाह को तब ही भंग कर सकते हैं जब विवाह को बचाना असंभव हो और उस संबंध में सभी प्रयास किए जाते हैं और जब न्यायालय को किसी भी संदेह से परे आश्वस्त किया जाता है कि वास्तव में विवाह के जीवित रहने की कोई संभावना नहीं है और यह मरम्मत से परे टूट गया है।

बी.

सी.

5.2 नवीन कोहली (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने निम्नलिखित टिप्पणी की है:

डी.

“74.……एक बार जब विवाह टूट जाता है, तो उस तथ्य पर ध्यान न देना कानून के लिए अवास्तविक होगा, और यह समाज के लिए हानिकारक और पक्षों के हितों के लिए हानिकारक होगा।जहाँ निरंतर अलगाव की एक लंबी अवधि रही है, वहाँ यह उचित रूप से अनुमान लगाया जा सकता है कि वैवाहिक बंधन सुधार से परे है।विवाह एक कल्पना बन जाती है, हालांकि एक कानूनी बंधन द्वारा समर्थित।ऐसे मामलों में उस बंधन को तोड़ने से इनकार करने से विवाह की पवित्रता की

पूर्ति नहीं होती है; इसके विपरीत, यह पक्षों की भावनाओं और भावनाओं के प्रति बहुत कम सम्मान दिखाता है।

ई.

एफ.

85. निस्संदेह, यह न्यायालय और सभी संबंधित लोगों का दायित्व है कि विवाह की स्थिति को यथासंभव, यथासंभव लंबे समय तक और जब भी संभव हो, बनाए रखा जाए, लेकिन जब विवाह पूरी तरह से समाप्त हो जाता है, तो उस स्थिति में, पक्षकारों को हमेशा के लिए एक ऐसे विवाह से बंधे रखने का प्रयास करने से कुछ भी हासिल नहीं होता है जो वास्तव में अस्तित्व में नहीं है।

जी.

86. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पक्षकार 10 वर्षों से अधिक समय से अलग रह रहे हैं और प्रत्यर्थी द्वारा अपीलार्थी के खिलाफ बहुत बड़ी संख्या में उपरोक्त आपराधिक और दीवानी कार्यवाही शुरू की गई है और अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी के खिलाफ कुछ कार्यवाही शुरू की गई है, ए

एच.

879

आर. श्रीनिवास कुमार बनाम आर. शमीथा [एम. आर. शाह, जे.] ए.

पक्षों के बीच वैवाहिक बंधन सुधार से परे है।पार्टियों के बीच शादी केवल नाम से होती है।विवाह को उद्धार की उम्मीद से परे नष्ट कर दिया गया है, सभी संबंधित लोगों का हित इस तथ्य को मान्यता देने और पहले से ही निष्क्रिय डी फैक्टो को निष्क्रिय घोषित करने में निहित है।" [जोर दिया गया] समर घोष के मामले में भी इसी तरह का विचार व्यक्त किया गया है।

बी.

(ऊपर)।

मामले के समान तथ्यों और परिस्थितियों में, सुखेंदु दास (उपरोक्त) के मामले में इस न्यायालय ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर विवाह को भंग करने का निर्देश दिया है।6. अब जहाँ तक प्रत्यर्थी-पत्नी की ओर से यह निवेदन है कि जब तक दोनों पक्षों की सहमति नहीं है, तब तक भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए भी विवाह के अपरिवर्तनीय टूटने के आधार पर विवाह को भंग नहीं किया जा सकता है, उपरोक्त में कोई सार नहीं है।यदि विवाह के दोनों पक्ष स्थायी रूप से अलग होने और/या तलाक के लिए सहमति देते हैं, तो निश्चित रूप से दोनों पक्ष आपसी सहमति से तलाक की डिक्री के लिए सक्षम न्यायालय का रुख कर सकते हैं।केवल ऐसे

मामले में जहां एक पक्ष सहमत नहीं होता है और सहमति नहीं देता है, केवल तभी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए पक्षों के बीच पर्याप्त न्याय करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का उपयोग करने की आवश्यकता होती है।हालाँकि, साथ ही, पत्नी के हित को आर्थिक रूप से संरक्षित करने की भी आवश्यकता है ताकि उसे भविष्य में आर्थिक रूप से पीड़ित न होना पड़े और उसे दूसरों पर निर्भर न रहना पड़े।

सी.

डी.

ई.

एफ.

7. इस न्यायालय ने निर्णयों की एक श्रृंखला में, विवाह को भंग करने के लिए भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत अपनी अंतर्निहित शक्तियों का प्रयोग किया है, जहां न्यायालय यह पाता है कि विवाह पूरी तरह से अव्यवहारिक, भावनात्मक रूप से मृत, बचाव से परे है और अपरिवर्तनीय रूप से टूट गया है, भले ही मामले के तथ्य कानून में ऐसा आधार प्रदान न करें जिस पर तलाक दिया जा सके।वर्तमान मामले में, स्वीकार्य रूप से, अपीलार्थी-पति और प्रतिवादी-पत्नी 22 वर्षों से अधिक समय से अलग रह रहे हैं और पक्षों के लिए एक साथ रहना संभव नहीं होगा।इसलिए, हमारी राय है कि प्रतिवादी-पत्नी के हितों की रक्षा करते हुए उसे एकमुश्त स्थायी गुजारा भत्ता के माध्यम से क्षतिपूर्ति करने के लिए, यह अनुच्छेद के तहत शक्तियों का प्रयोग करने के लिए एक उपयुक्त मामला है।

जी.

एच.

142 भारत के संविधान और पक्षों के बीच विवाह को भंग करना।

8. उपरोक्त और ऊपर बताए गए कारणों को ध्यान में रखते हुए, विवाह के विघटन के लिए अपीलार्थी-पति द्वारा दायर तलाक के लिए आवेदन एतद्द्वारा अनुमत है।अपीलार्थी-पति और प्रत्यर्थी-पत्नी के बीच विवाह को भारत के संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस शर्त पर भंग करने का आदेश दिया जाता है और जैसा कि अपीलार्थी-पति की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सहमति व्यक्त की है कि अपीलार्थी-पति प्रत्यर्थी-पत्नी को एकमुश्त स्थायी गुजारा भत्ता का भुगतान करेगा, जिसकी मात्रा <ID1,00,000/- (बीस लाख रुपये)

होगी, जिसे आज से आठ सप्ताह की अवधि के भीतर डिमांड ड्राफ्ट के माध्यम से प्रत्यर्थी-पत्नी को सीधे भुगतान विद्वान जाएगा।जब तक प्रतिवादी-पत्नी को उपरोक्त स्थायी गुजारा भत्ता का भुगतान नहीं किया जाता है, तब तक अपीलार्थी-पति उसे दिए जा रहे भरण-पोषण का भुगतान करना जारी रखेंगे।

बी.

सी.

9. अपील की अनुमति उपरोक्त शर्तों में दी गई है।कोई लागत नहीं।

डी.

कल्पना के. त्रिपाठी

अपील की अनुमति दी गई।

ई.

एफ.

जी.

एच.